न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक III/निग./भिण्ड/भू.रा./2017/ 3763

उ77

पी.के. तिवारी एड.
9-10-17
9-10-17
पेशी दिनांक 12-10-17
Noted
9-10-17

1. संदीप चतुर्वेदी पुत्र श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी,
2. सुदीप चतुर्वेदी पुत्र श्री चन्द्रशेखर चतुर्वेदी, दोनों निवासीगण मिहोना, वार्ड क्रमांक 13, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड म0प्र0

—— आवेदकगण

बनाम

1. श्रीमती आराधना पत्नी श्री अतुल कुमार, जाति ब्राह्मण
2. श्रीमती मंजेश पत्नी राजेश, जाति ब्राह्मण दोनो निवासीगण– वार्ड नं.4 खितौली मिहोना, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म0प्र0)
3. बृजबिहारी पुत्र श्री हरिशंकर, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं.4 खितौली मिहोना, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म0प्र0)

—— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12.09.2017 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार मिहोना, जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 51/2016–17/अ–6

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3763

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	